न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़

उपस्थितः जितेन्द्र कुमार सिंह, एच०जे०एस०

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–4298/2022

(C.N.R. No. UPAZ010084672022)

01. इम्तियाज उर्फ छोटू उम्र लगभग 23 वर्ष पेशा कृषि पुत्र नेसार उर्फ निसार

02. एकरार उम्र लगभग 24 वर्ष पेशा कृषि पुत्र फिरोज उर्फ सियार

निवासीगण कस्बा देवगांव, थाना देवगांव, जिला आजमगढ़।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

01. उत्तर प्रदेश राज्य ..... विपक्षी

एवं

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–4361/2022

(C.N.R. No. UPAZ010086212022)

01. दानिश उर्फ विधायक उम्र 30 वर्ष पुत्र झिनकू उर्फ इद्रीश , निवासी कस्बा देवगांव, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

01. उत्तर प्रदेश राज्य ..... विपक्षी

18.10.2022

1. चूंकि उपरोक्त दोनो जमानत प्रार्थनापत्र एक ही घटना व अपराध संख्या से सम्बन्धित हैं, अतः सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त दोनो जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण एक साथ संयुक्त आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

2. आवेदकगण/अभियुक्तगण **इम्तियाज उर्फ छोटू व एकरार** की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 4298/2022, अन्तर्गत धारा 147, 149, 332, 353, 504, 307 भा०दं०सं० व 2, 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम व आवेदक /अभियुक्त **दानिश उर्फ विधायक** की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 4361/2022, अन्तर्गत धारा 307, 147, 149, 332, 353, 504 भा०दं०सं० व 2, 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम, मुकदमा अपराध संख्या 326/2022, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किये गये

हैं। जमानत प्रार्थनापत्रों के सम्बन्ध में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) को संसूचित किया जा चुका है। जमानत प्रार्थनापत्र शपथपत्रों से समर्थित हैं।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 22.09.2022 को वादी मुकदमा सतीश कुमार यादव, उपनिरीक्षक मय हमराही आरक्षी विवेक गिरी व आरक्षी प्रदीप गुप्ता सरकारी वाहन सेकेण्ड मोबाइल UP50AG0368 से मय HG सुधीर तिवारी वास्ते देखभाल क्षेत्र खराट मोड पर मौजूद था, कि एक सफेद रंग की पिकप तेज गति से खराट मोड़ से मार्टिनगंज की तरफ जा रही थी, जिसे चेकिंग करने के दरम्यान रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उक्त संदिग्ध पिकप खतरनाक तरीके से चलाते हुए भाग गया जिसमें 5–6 व्यक्ति पीछे बैठे दिखायी दिये। इस पर संदिग्ध होने के कारण उक्त पिकप का पीछा करते हुए उसरगांवा पुलिया के पास पहुंचा ही था कि उक्त पिकप अज्ञात नम्बर जिसे लेकर ईंट पत्थर चलाने लगे और पिकप बैक करते हुए जान से मारने की नियत से जोरदार टक्कर मार दिया, जिसके कारण जीप बांये पटरी से उतरकर नीचे पानी भरे नाले में चली गयी और क्षतिग्रस्त हो गयी। पुलिस वालों को चोटें भी आयीं। ललकारने पर गाली–गलौज करते हुए भाग गये। उक्त घटना दिनांक 22.09.2022 समय करीब 02.30 एएम की है।

4. आवेदकगण/अभियुक्तगण इम्तियाज उर्फ छोटू व एकरार की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण निर्दोष हैं और उनको रंजिश के कारण अभियुक्त बनाया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र चक्षुदर्शी जनसाक्षी नहीं है। आवेदकगण का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियोजन कथानक पूरी तरह से मनगढ़ंत, झूठा व गलत है। आवेदकगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं हैं। प्रस्तुत प्रकरण में आठ व्यक्तियों के नाम प्रकाश में लाये गये हैं। आवेदकगण की गिरफ्तारी घटनास्थल पर नहीं हुयी है, जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से स्पष्ट है। घटना दिनांक 22.09.2022 की रात करीब 2.30 बजे की है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन दिनांक 22.09.2022 को समय करीब 18.09 बजे अति विलम्ब से राय मशविरे के बाद दर्ज करायी गयी है और विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वे दिनांक 06.10.2022 से जेल में निरूद्ध हैं। आवेदकगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है । उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5. आवेदक/अभियुक्त दानिश उर्फ विधायक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक निर्दोष है

और उसको रंजिश के कारण अभियुक्त बनाया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र चक्षुदर्शी जनसाक्षी नहीं है। आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। वह दिनांक 04.10.2022 से जेल में निरूद्ध है। पुलिस वालों को ईंट–पत्थर की कोई चोट घटना में नहीं आयी है, बल्कि गाड़ी के धक्के से चोट आयी हैं। आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। थाना स्थानीय की पुलिस उसे घर से उठा कर ले गयी थी जिसके सम्बन्ध में आवेदक के घर वालों ने इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी थी । कथित घटना से आवेदक का कोई वास्ता–सरोकार नहीं है बल्कि उसे राजनीतिक व चुनावी रंजिश के कारण साजिशन झूठा फँसाया गया है। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

6. प्रत्युत्तर में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को खण्डित करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण कथित पिकप वाहन को तेजी व लापरवाही से चला रहे थे, जिसे चेकिंग के लिए पुलिस द्वारा रोकने पर उक्त पिकप आवेदकगण ने पुलिस वालों को जान से मारने की नियत से उनके ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया और ईंट–पत्थर से हमला किया तथा पुलिस वालों की जीप में धक्का मारकर उसे पानी में गिरा दिया जिससे लोक सम्पत्ति की क्षति हुयी एवं सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के साथ–साथ लोकसेवको को अपने कर्तव्यों से भयोपरत करते हुए उन पर हमला किया। इस प्रकार मामला गम्भीर अपराध से सम्बन्धित हैं। अतः जामनत प्रार्थनापत्रों को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

7. जमानत प्रार्थनापत्रों के निस्तारण हेतु मैने आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फैाजदारी) द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

8. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदकगण पर पुलिस पार्टी, जो कि लोकसेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे ,को ईंट–पत्थर से मारकर व कथित पिकप को उन पर जान से मारने की नियत से चढ़ाने का प्रयास करके उन पर हमला करने और मां–बहन की गालियां व जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। थाना आख्या के अनुसार आवेदकगण ने सह अभियुतगण के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है। पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सीय आख्या के अनुसार वादी मुकदमा उपनिरीक्षक सतीश कुमार यादव सहित अन्य पुलिस कर्मचारीगण को घटना में साधारण प्रकृति की चोटें आना दर्शित है। वादी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० में अभियोजन

कथानक की पुष्टि की है। मु०अ०सं० 331/2022 में मौके से पकड़ा गया अभियुक्त आसिफ स्थानीय थाना के मु०अ०सं० 326/2022 (प्रस्तुत प्रकरण) में प्रकाश में आया वांछित अभियुक्त है। मामला पुलिस वालों को जान से मारने की नियत से उन पर कथित पिकप को चढाकर उनकी हत्या का प्रयास करने, सरकारी जीप को धक्का देकर पानी में गिराकर लोक सम्पत्ति की क्षति करने और लोकसेवक को उनके कर्तव्यों के निर्वहन से भयोपरत करके उन पर हमला किये जाने के गम्भीर अपराध से सम्बन्धित है। अपराध अन्तर्गत धारा 307 भा०दं०सं० सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

9. मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, सामग्री एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर टिप्पणी किये बिना, मेरी राय में आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़े जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं हैं। अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण **इम्तियाज उर्फ छोटू व एकरार** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 4298/2022 व आवेदक/अभियुक्त **दानिश उर्फ विधायक** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 4361/2022 तदानुसार निरस्त किये जाते हैं। इस आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 4361/2022 की पत्रावली में रखी जाये।

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
आजमगढ़।
J. O. Code No. U P 5672